

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार ४ अगस्त, 2011 / 13 श्रावण, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि0-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 03 अगस्त, 2011

संख्याः पीईआर (एपी)—सी—ए (3)—7/2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ सहायक, वर्ग—III, (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—'क' के अनुसार सामान्य भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(**1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग—III, (अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2011 है।

- (2) यह नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे :

परन्तु ये नियम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पदों को लागू नहीं होंगे :

- 2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समय—समय पर जारी वरिष्ठ सहायक के पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियमों में उपबंधित भर्ती की पद्धित प्रवृत्त नहीं रहेगी।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप—नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – प्रधान सचिव (कार्मिक)।

उपाबन्ध–'क'

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ सहायक, वर्ग—III (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं) के पद के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम

- 1. **पद का नाम.**—वरिष्ठ सहायक
- 2. पदों की संख्या.—जैसी सम्बद्ध विभाग में सरकार द्वारा समय—समय पर मंजूर की गई है और मंजूर की जाएगी।
 - 3. वर्गीकरण.—वर्ग —III (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)
 - **4. वेतनमान.**—पे बैण्ड : 10300—34800 / रूपए जमा 3800 / रूपए ग्रेड पे।
 - 5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.-अचयन
 - 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—लागू नहीं
- 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—लागू नहीं।
- 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हता : जैसी नीचे स्तम्भ संख्या—11 में विहित है।
- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षमप्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

- 10. भर्ती की पद्धित भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित, प्रितिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रितिशतता.—शतप्रतिशत प्रोन्निति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेन्डमैंट आधार पर।
- 11. प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—सम्बद्ध विभागों के लिपिकों / किनष्ट सहायकों के सामान्य लिपिकीय संवर्ग में से प्रोन्नित द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सिम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से समरूप वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकेन्डमैंट आधार पर:

परन्तु ऐसे पदधारी / लिपिक, जो वर्ग—IV के कर्मचारियों में से प्रोन्नत किए गए हैं या करूणामूल्क आधार पर नियुक्त किए गए हैं वरिष्ठ सहायक के पद की प्रोन्नति के लिए तभी पात्र होंगे, यदि वे लिपिक के पद की सीधी भर्ती के लिए यथा विहित 10+2 की शैक्षणिक अर्हता रखते हों।

परन्तु प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अविध या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अविध अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II :- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
- 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
- 3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
- 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
- 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
- 6. कांगडा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र।
- 7. जिला किन्नौर।
- 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
- 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल—बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मिटयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच—बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरूपटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।
- (1) प्रोन्नित के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नित के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित, भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई किनष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सिहत, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय किनष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे किनष्ट व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत किनष्ठ पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि विरष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मंड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन—टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत् वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स—सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नित, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

- **12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.**—जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।
- 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
 - 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—लागू नहीं।
 - 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—लागू नहीं।
- 16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
 - **17. विभागीय परीक्षा.**—लागू नहीं।
- 18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English Text of Government Notification No. Per (AP)-C-A (3)-7/2010 dated 03-08-2011 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (AP-III)

NOTIFICATION

Shimla-171002, 3rd August, 2011

- **No. Per (AP)-C-A (3)-7/2010.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Common Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Assistant, Class-III, (Non-Gazetted, Ministerial Services) in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-
- 1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III, (Non Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
- (3) These rules shall be applicable to all the Government Department of State of Himachal Pradesh:

Provided that these Rules shall not apply to the posts of the Vidhan Sabha Secretariat/ High Court of H. P.

- **2. Repeal and Savings.**—(1) The method of recruitment provided in Recruitment and Promotion Rules for the posts of Senior Assistant under various Departments of the Himachal Pradesh Government issued from time to time, shall cease to operate:
- (2) Notwithstanting such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) of this rule, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, Sd/-Principal Secretary (Personnel).

Annexure-A

Common Recruitment & Promotion Rules for the posts of Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted-Ministerial Services) in various Departments of Himachal Pradesh Government

- 1. Name of Post.—Senior Assistant.
- **2. Number of Posts.** As sanctioned and may be sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments.

- **3.** Classification.—Class-III (Non-Gazetted) (Ministerial Services).
- **4. Scale of Pay.** Pay band: Rs. 10300-34800+3800 Grade Pay.
- 5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post.—Non-Selection.
- **6.** Age for Direct recruitment.— N.A.
- 7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment.—N.A.
- 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age: N.A. Educational As prescribed against Col. No. 11 Qualifications below.
- **9. Period of Probation, if any.**—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
- 10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.
- 11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Common Clerical cadre of Clerks/Junior Assistants of concerned Departments possessing ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other H. P. Government Departments:

Provided that such incumbents/Clerks who have been promoted from Class-IV or appointed on compassionate grounds will be eligible for promotion to the post of Senior Assistant, only if, they possess the educational qualification of 10+2 as prescribed for direct recruitment to the post of Clerk.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

- 1. District Lahaul & Spiti.
- 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
- 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
- 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
- 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
- 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
- 7. District Kinnaur.
- 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
- 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
- (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

- 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Govt. from time to time.
- 13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
 - 14. Essential requirement for a direct recruitment.—N.A.
 - 15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—N.A.
- **16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
 - **17. Departmental Examination.** Not Applicable.
- 18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person (s) or post (s).

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 29 जुलाई, 2011

संख्या एच.एफ.डब्लयु—बी(बी)1—3/2009—लूज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्षा का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान विभाग में नाभिकीय औषध प्रौद्योगिकीविद् वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नित नियम बनाती है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग नाभिकीय औषध प्रौद्योगिकीविद वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2011 है ।
 - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – प्रधान सचिव (स्वास्थ्य)।

उपाबन्ध—"क "

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में नाभिकीय औषध प्रौद्योगिकीविद् वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम

- 1. पद का नाम नाभिकीय औषध प्रौद्योगिकीविद्।
- 2. पदों की संख्या 1 (एक)।
- वर्गीकरण वर्ग—III (अराजपत्रित)।
- 4. वेतनमान.—1. नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान पे बैण्ड 10300—34800 रूप्ए+ग्रेड पे 4200 रूपए।
- 2. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां स्तभ्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 14,500 / —रूपए ।
- 5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**—लागू नहीं।
- 6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु.-18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी ;

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर या संविदा पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रुप में नियुक्ति की तिथि को अधिक आयु का हो गया हो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश के अधीन अनुज्ञेय है ।

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों की, जो भी ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त है, किन्तु इस प्रकार की छूट पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद ऐसे निकायों में अन्तिम रुप में आमेलित किए गए थे।

- 1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, पद विज्ञापित किए जाते हैं या रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित किए जाते हैं।
- 2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
- 7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क). अनिवार्य अर्हताएं : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीo आरo सीo) ट्राम्बे, मुम्बई के रेडियेशन मेडिसन केन्द्र से मेडिकल रेडियोआइसोटोप तकनीक (डीoएमo आरo आई टीo) में एक वर्ष का डिप्लोमा। या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का रनातक और मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई से मेड़िसन रेडियोआइसोटोप तकनीक (डी० एम० आर० आई टी०) में दो वर्ष का डिप्लोमा। या

परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड़ (ए० ई० आर० टी०) भारत सरकार द्वारा म्प्रन्यता प्राप्त नाभिकीय औषध तकनीक (बी०एन०एम०टी०) में स्नातक । या

परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (ए० ई० आर० टी०) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नाभिकीय औषध तकनीक में एम०एस०सी० ।

- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/केन्द्र से रेडियोजलोजिकल सुरक्षा अधिकारी स्तर—II प्रमाणपत्र ।
- (ख) वांछनीय अर्हता.—हिमाचल प्रदेश की रूचियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
- 8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं क्या प्रोन्नित की दशा में लागू होंगी.—आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं।
- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनिधक ऐसी और अविध के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों से आदेश दें।
- 10. भर्ती की पद्धित भर्ती, सीधी होगी या प्रोन्नित, प्रितिनयुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—यथास्थिति शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर संविदा के लिखित आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को स्तम्म 15 के अनुसार उपलिक्षियां प्राप्त होंगी और वह उक्त स्तम्म में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्ती द्वारा विनियमित होंगे।
- 11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड सिस्टम), प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—लागू नहीं ।
 - 12. यदि विभागीय प्रोन्नित समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना.—लागू नहीं ।
- 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
- 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—िकसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- **15 क. संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए नियम और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:—
- (I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में रेडियोथेरिपी एवं आनकालेजी विभाग में नाभिकीय औषध प्रौद्योगिकीविद् संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ;

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक पाए गए हैं, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

- (ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.—निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
 - (ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
- (II) संविदात्तमक उपलिख्यां.—संविदा के आधार पर नियुक्त नाभिकीय औषध प्रौद्योगिकीविद् को 14,500 रूपये की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम + ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलिख्यों में 440 / रूपये की रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम + ग्रेड पे के तीन प्रतिशत के बराबर होगी) वार्षिक वृद्धि के रूप में संदत्त की जाएगी ।
- (III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.—निदेशक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
- (IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय समय पर गठित की जाए।
- (VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपबन्ध—'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
- (VII) निबन्धन और शर्ते.—(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 14,500 /— रूपए की नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम + ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 440 / रूपये की रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम ग्रेड पे के तीन प्रतिशत के बराबर होगी) वार्षिक वृद्धि के रूप में प्रदान की जाएगी और अन्य कोई सुविधाएं, जैसे वरिष्ट / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
 - (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
 - (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूर्ति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
 - (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा में अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

- (ङ) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने, तैनाती के एक स्थान पर पांच साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर—एस.आर., अवकाश नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशाा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित वेतन आदि के लिए हकदार होंगे।
- 16. आरक्षण.—उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बावत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी।

	उपाबन्ध—"ख
	ज्याबग्य— ख
पद का नाम और हिमाचल प्रदेश सरक के माध्यम से निष्पादित की जाने व	ार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) ाली संविदा / करार का प्रारूप
यह करार श्री /श्रीमति ————— ————संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, (नियुक्ति प्राधिकारी का पदन पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ————	नाम)—————(जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार व नाम)—————के रूप में संविदा आधार पर निम्नि सहमति दी है :—	हो लगाया है और प्रथम पक्षकार ने (पद क लेखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए

परन्तु सम्बद्ध विभागाध्यक्ष वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अविध में विस्तारण / नवीकरण के लिए प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध का नवीकरण किया जाएगा / विस्तारण किया जाएगा 1

- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14,500 / रूपए प्रतिमास होगी ।
- 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
- 4. संविदा पर नियुक्त—————(पद का नाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त—————————————————(पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
- 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त————(पद का नाम) कर्त्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- 6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने एक तैनाती के स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते का हकदार होगा / होगी ।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षी की उपस्थिति में:— 1.—————————
(नाम व पूरा पता) 2. ————————————————————————————————————
 (नाम व पूरा पता)

(नाम व पूरा पता)

(नाम व पूरा पता)

2126

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. HFW-B(B)1-3/2009-Loos dated-----as Required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29 July, 2011

No. HFW-B(B)1-3/2009(Loose).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Nuclear Medicine Technologist, Class III (Non-Gazetted), in the Department of Medical Education and Research, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

- Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh. Department of Medical Education and Research, Nuclear Medicine Technologists, Class-III (Non-azetted), Recruitment and Promotion Rules, 2011.
- (2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order, Sd/-Principal Secretary (Health).

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGIST (NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE SPECILITY OF RADIOTHERAPY, DEPARTMENT OF MEDICAL EDUCATION & RESEARCH, HIMACHAL PRADESH

- 1. Name of post.— Nuclear Medicine Technologist.
- 2. Number of post(s).—01 (One).
- **3.** Classification.—Class-III (Non-Gazetted).
- **4. Scale of Pay.** (i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band ₹ 10300-34800 + 4200/-Grade Pay.
 - (ii) Emoluments for contract employees ₹ 14,500/- as per details given in Column 15-A.
- 5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.— Not applicable.
- **6. Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies and who are /were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

- (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
- (2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is other wise well qualified.
- 7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— Essential Qualification(s): (i) B.Sc. from any recognized University and having one year's Diploma

in Medical Radio-Isotope Techniques (DMRIT) from Radiation Medicine Centre of Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Trombay, Mumbai. OR

Graduate of a recognized University and having two year's Diploma in Medical Radio-Isotope Techniques (DMRIT) from Mumbai University, Mumbai. OR

Bachelor of Nuclear Medicine Techniques (BNMT) recognized by Atomic Energy Regulatory Board (AERB), Government of India.

M.Sc in Nuclear MedicineTechniques(BNMT) from University recognized by Atomic Energy Regulatory Board (AERB), Government of India .

- (ii) Radiological Safety Officer level-II Certificate from a recognized University/ Institute/Centre.
- (b) Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
- 8. Whether age and educational qualification (s) prescribed for direct recruit (s) will apply in the case of the promote(s).—Age: Not applicable. Educational Qualification: Not Applicable.
- **9. Period of probation, if any.**—Two year's subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
- 10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Column 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.
- 11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—Not applicable.
- 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—Not applicable.
- 13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As reqired under the Law .
- **14. Essential requirement for a direct requirement.**—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
- 15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.
- **15-A Selection for appointment to post by contract appointment.**—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) Concept.—(a) Under this policy the Nuclear Medicine Technologist in the Department of Radiotheraphy & Oncology, H. P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis.

Provided that the extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to eb renewed/extended.

- (b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.**—The Director of Medical Education and Research, H.P.after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
- (II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Nuclear Medicine Technologist appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 14,500/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay @ ₹ 440/-(3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
- (III) **APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.**—The Director of Medical Education and Research, H. P. will be appointing and disciplinary authority.
- (IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practial test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerning recruiting agency i.e. H.P.Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.
- (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e.the H.P.Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.
- **(VI) AGREEMENT.**—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
- **(VII) TERMS AND CONDITIONS.**—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 14,500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ 440/-(3% of the minimum of the pay band+grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service . This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

- (d) Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant behond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
- **16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
 - 17. **Departmental Examination.**—Not applicable.
- 18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commision relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

ANNEXUURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the ------& the Government of Himachal Pradesh through Director, Medical Education and Research Department.

This agreement is made on this------- day of -------in the year ------between Sh./Smt.-----S/o/D/o Shri------- R/o ------contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND , The Governor, Himachal Pradesh through Director,Medical Education and Research Department (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a ------(name of post) on contract basis on the following terms and conditions:-

1.	That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a
	(Name of the post) for a period of one year commencing on day ofand
	ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by
	both the parties that the contract of theFIRST PARTY with the
	SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on
	And information notice shall not be necessary :

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

- 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs-----/-per month.
- 3. The servicer of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contact.
- 4. Contractual------(name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual-----(name of the post). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
- 5. Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual------ (name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- 6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Pratitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.
- 8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
- 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hand
the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:

(Name and Full Address) IN THE PRESENCE OF WITNESS: (Name and Full Address) (Signature of the FIRST PARTY) _____ (Name and Full Address)

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 2011

No.LLR-E ((9)1/88-III (Loose).— In continuation of this Department Notification of even No. dated 3-8-2009, Governor Himachal Pradesh is pleased to order that Sh Satya Pal Jain, shall also be entitled to stay in Hotel Holiday Home owned by the H.P.T.D.C. Shimla, whenever he visit Shimla to defend the State before the Hon'ble High Court in cases entrusted to him subject to the condition that the reimbursement of expenses incurred by him for boarding and lodging shall be only for those days he appears before the Hon'ble High Court of H.P. including penultimate day.

> By order, Sd/-LR-cum-Pr.Secretary (Law).

Department of Panchayati Raj.

No. PCH-HA (3) 1/2011-11321-32

2132

Shimla-9 dated the 4th August, 2011.

Notification

Whereas, the Chief Commissioner, Gurdwara Elections, Government of India in exercise of the powers vested him under sub-rule (1) of rule 13 of the Sikh Gurdwaras Board Election Rules, 1959 have fixed and notified the dates on, or within which, various stages of the election in each constituency of the board (Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee) vide their notification No.701/243-E-III/2011/GEC, dated 4th August, 2011;

Therefore, I, Dr. R.N. Batta, Director of Panchayati Raj-cum- Commissioner, Gurdwara Elections, Himachal Pradesh hereby order the publication of notification No. 701/243-E-III/2011/GEC, dated 4th August, 2011 issued by the Secretariat, Gurdwara Election Commission, Government of India, 23, Sector 8-A, Chandigarh as per enclosed Annexure in the official Gazette of the State Government of Himachal Pradesh for information of the general public.

By order/-

Director Panchayati Raj-cum-Commissioner Gurdwara Elections.

Annexure

SECRETARIAT GURDWARA ELECTION COMMISSION GOVERNMENT OF INDIA 23, SECTOR 8-A, CHANDIGARH.

Notification

4th August, 2011

No. 701/243-E-III/2011/GEC - The Central Government having fixed under section 47 of the Sikh Gurdwara Act, 1925 (Punjab Act VIII of 1925), 18th September, 2011 as the date on which the election of the members of the Board (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) shall be held, the Chief Commissioner, Gurdwara Elections, in exercise of the powers vested in him under sub-rule (1) of rule 13 of the Sikh Gurdwaras Board Elections Rules 1959, and all other powers enabling him in this behalf, hereby fixes the dates on, or within which, various stages of the election in each constituency of the Board (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) notified by the Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No.S.O.308-E, dated 20th April, 1996 as published in the Gazette of India (Extraordinary) dated 20th April, 1996, shall be carried out, as follows:-

- 4.8.2011 (Thursday) to 11.8.2011 (Thursday) both days inclusive as the dates on which the nomination papers shall be presented;
- 12.8.2011 (Friday) as the date by which the list of nomination papers shall be posted;
- 16.8.2011 (Tuesday) as the date on which the nomination papers shall be scrutinized;
- 18.8.2011 (Thursday) to 19.8.2011 (Friday) as the dates on which applications for the revision of orders of the authority scrutinizing the nomination papers to the Deputy Commissioner, shall be made;
- 23.8.2011 (Tuesday) as the last date by which the revisions applications shall be decided by the concerned Deputy Commissioner;
- 6. 26.8.2011 (Friday) as the date by which a candidate may withdraw his candidature;
- 29.8.2011 (Monday) as the date by which the list of valid nomination papers shall be posted;
- 8. 30.8.2011 (Tuesday) the date on which the list of polling stations shall be posted;
- 9. 18.9.2011 (Sunday) as the date on which the polling shall, if necessary, be held and
- 22.9.2011 (Thursday) as the date on which the result of election of the constituencies shall be declared.

Sd/-

(Justice H.S. Brar Judge (Retd.) Chief Commissioner, Gurdwara Elections. ਸਕੱਤਰੋਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 4 ਅਗਸਤ, 2011

- (1) 4 ਅਗਸਤ, 2011 (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੋਂ 11 ਅਗੱਸਤ, 2011 (ਵੀਰਵਾਰ) ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਮਿਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- (2) 12 ਅਗਸਤ, 2011 (ਯੂਕਰਵਾਰ), ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- (3) 16 ਅਗਸਤ, 2011 (ਮੈਗਲਵਾਰ), ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- (4) 18 ਅਗਸਤ, 2011 (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੋਂ 19 ਅਗੱਸਤ, 2011 (ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ) ਉਹਨਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿਨੈਂ–ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਾਣਗੇ।
- (5) 23 ਅਗਸਤ, 2011 (ਮੈਗਲਵਾਰ), ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਬਿਨੈਂ-ਪੱਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- (6) 26 ਅਗਸਤ, 2011 (ਸੁਕਰਵਾਰ), ਉਸ ਮਿਡੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਮਿਡੀ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (7) 29 ਅਗਸਤ, 2011 (ਸੌਮਵਾਰ), ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਾਇਜ (ਉਚਿਤ) ਨਾਮਜਦਗੀ ਧੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਗੈ ਜਾਵੇਗੀ।
- (8) 30 ਅਗਸਤ, 2011 (ਮੰਗਲਵਾਰ), ਉਹ ਮਿਤੀ, ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫ਼ਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- (9) 18 ਸਤੰਬਰ, 2011, (ਐਤਵਾਰ) ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ, ਜੇਕਰ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਪੈਣਗੀਆਂ।
- (10) 22 ਸਤੰਬਰ, 2011, (ਵੀਰਵਾਰ) ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਸਿਤੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਹਿ , ਆਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ (ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਸ. ਬਰਾਡ ਜੱਜ (ਰਿਟਾ:)); ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਣਾਂ।

कार्मिक विभाग (नि0-।।।)

2.

संख्याः पीईआर (एपी)—सी–ए (3)–7/2011. तारीख शिमला–2, 17 जनवरी, 2012.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी)—सी—ए (3)—7/2011 तारीख 3 अगस्त, 2011 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, विषेष्ठ सहायक, वर्ग—III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग—III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नित (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- उपाबन्ध—क का संशोधन।
- हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग—III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2011 के उपाबन्ध—क में :—

स्तम्भ संख्या—11 के सामने विद्यमान मुख्य उपबन्ध अर्थात प्रारिम्भक पैरा के निम्न परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थातः—

"परन्तु ऐसे समस्त पदधारी वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नित के लिए केवल तभी पात्र होंगे, यदि वे सीधी भर्ती के लिए यथाविहित 10+2 की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हों, या सीधी भर्ती के विरूद्ध लिपिक के पद पर आमेलित किए गए हों।"

आदेश द्वारा.

मनीषा नन्दा प्रधान सचिव (कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार। (Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2011 Dated: 17.01.2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh Department of Personnel (AP-III)

No. Per (AP)-C-A(3)-7/2011

Dated: Shimla-2, the 17th January, 2012.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2011 dated the 3rd August, 2011, namely:-

Short title and 1. (1) Commencement

- These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2011.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, H.P.

Amendment of 2. Annexure-A

In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011:-

For the existing proviso carved out below the main provisions i.e. opening para against Col. No. 11, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that all such incumbents will be eligible for promotion to the post of Senior Assistant, only if, they possess the minimum educational qualification of 10+2 as prescribed for direct recruits or Clerks absorbed against direct recruitment post."

By order,

Manisha Nanda Principal Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग (नि0-।।।)

संख्याः पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-7/2010. तारीख शिमला-2. 18 अप्रैल. 2012.

1.

2.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी)—सी—ए (३)—७ / २०१०, तारीख ३ अगस्त, २०११ द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग—III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं. अर्थात:-

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ।

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 है।
- ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध–"क" का[ं] संशोधन ।

- हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2011 के उपाबन्ध-''क'' में
- (1) स्तम्भ संख्या–10 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।"; और

स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"सम्बद्ध विभागों के लिपिकों / किनष्ट सहायकों के सामान्य लिपिकीय संवर्ग में से प्रोन्नित द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

परन्त् ऐसे समस्त पदधारी, वरिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नित के लिए केवल तभी पात्र होंगे, यदि वे सीधी भर्ती के लिए यथाविहित 10+2 की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हों, या सीधी भर्ती पद के विरूद्ध लिपिक के पद पर आमेलित किए गए हों :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लाग नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तू यह और कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार

स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I:— उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अविध या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अविध अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II:— उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
- 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
- 3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
- जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
- 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
- 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
- 7. जिला किन्नौर।
- सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
- 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल—बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उपतहसील के गाड़ा गुसैणी, मिठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच—बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त :

परन्तु जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा से सम्बन्धित परन्तुक ऐसी सेवाओं/स्थापनों/विभागों को लागू नहीं होंगे, जिनकी सेवाएं अस्थानान्तरणीय हैं और ऐसे क्षेत्रों में उनके पद नहीं है।

(1) प्रोन्नित के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नित के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित, भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई किनष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सिंहत, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय किनष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की

अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे किनष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत किनष्ठ पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि विरष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन—टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत् वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स—सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।"

आदेश द्वारा,

मनीषा नन्दा प्रधान सचिव (कार्मिक), हिमाचल प्रदेश सरकार। (Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2010 Dated: 18.04.2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh Department of Personnel (AP-III)

No. Per (AP)-C-A(3)-7/2010

Dated: Shimla-2, the 18th April, 2012.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is please to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-7/2010 dated the 3rd August, 2011, namely:-

Short title and 1. (1)

Commencement

These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011

(1) For the existing provision against Col. No. 10, the following shall be substituted, namely:-

"100% by promotion."; and

(2) For the existing provision against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:-

"By promotion from amongst the Common Clerical cadre of Clerks/Junior Assistants of concerned Departments possessing ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:

Provided that all such incumbents will be eligible for promotion to the post of Senior Assistant, only if, they possess the minimum educational qualification of 10+2 as prescribed for direct recruits or Clerks absorbed against direct recruitment post.

A (I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso A (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I: For the purpose of proviso A (I) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II: For the purpose of proviso A(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

Amendment of 2. Annexure-A

- 1. District Lahaul & Spiti
- 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District
- 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.
- Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
- 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
- Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
- 7. District Kinnaur
- 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
- 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gus thyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad saini, Ma and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District:

Provided that the provisos regarding essential service in the tribal/difficult areas shall not be applicable to such services/ establishments/ Departments whose services are nontransferable and do not have posts in such areas.

- (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
- (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

<u>Explanation</u>:-The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel

(Reservation of Services in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order,

Manisha Nanda Principal Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh

(Authoritative English text of the Notification No. Per(AP-B)A(3)1/2012 dated 29-06-2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH DEPARTMENT OF PERSONNEL (AP-II)

No.Per (AP-B)A(3)1/2012 Dated Shimla-2, the

29-06-2012

NOTIFICATION

The Government of Himachal Pradesh has notified the Common Direct Recruitment and Promotion (First & Second Amendment) Rules in respect of the post of Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) vide Notification number and date shown against the same as under:-

Sr.	Title of the Rules	Notification No. & Date
No.		
1	Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non- Gazetted, Ministerial Service) Common Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2011	No.Per(AP)-C-A(3)7/2011, dated 17-01-2012.
2	Himachal Pradesh, Department of Personnel, Senior Assistant, Class-III (Non- Gazetted, Ministerial Service) Common Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2012	No.Per(AP)-C-A(3)7/2010, dated 18-04-2012.

The above common Recruitment and Promotion (First & Second Amendment) Rules have been framed under Article 309 of the Constitution of India and as such are not applicable to the categories of posts in the Himachal Pradesh Public Service Commission as the H.P. Public Service Commission is a Constitutional body and the service conditions of the employees of the Commission are regulated under the provisions of Article 318 of the Constitution of India.

Therefore, with a view to bring uniformity in the Recruitment and Promotion Rules in respect of various categories of posts under the Government of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 read with Article 318 of the Constitution of India, is pleased to order that the above mentioned common Recruitment and Promotion (First & Second Amendment) Rules shall be applicable to the category of post of "Senior Assistant" in the Himachal Pradesh Public Service Commission from the date of publication of this Notification in Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order

MANISHA NANDA Principal Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग(नि0—।।)

संख्याः पर (एपी-बी)ए (3)-1/2012

तारीख शिमला–2,

29 जून 2012

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ सहायक, वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद की बाबत उसके आगे दर्शाई गई अधिसूचना संख्या और तारीख द्वारा सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नित (प्रथम व द्वितीय संशोधन) नियम निम्न प्रकार से अधिसूचित किए हैं:—

क्रम	नियमों का नाम	अधिसूचना संख्या और तारीख
संख्या		
1.	हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक,	संख्या पीईआर (एपी)—सी–ए(3)–7 / 2011
	वर्ग— III (अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नित (प्रथम संशोधन) नियम, 2011	तारीख 17 जनवरी, 2012
2	हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग— III (अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नित (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012	संख्या पीईआर (एपी)—सी—ए(3)—7 / 2010 तारीख 18 अप्रैल, 2012

उपर्युक्त सामान्य भर्ती और प्रोन्नित (प्रथम व द्वितीय संशोधन) नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए हैं और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस पद के प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है तथा आयोग के कर्मचारियों की सेवा की शर्ते भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के उपबन्धों के अधीन विनियमित होती हैं।

अतः, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन पदों के विभिन्न प्रवर्गों की बाबत भर्ती और प्रोन्नित नियमों में एकरूपता लाए जाने के दृष्टिगत, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पिठत अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश देती हैं कि उपर्युक्त वर्णित सामान्य भर्ती और प्रोन्नित (प्रथम व द्वितीय संशोधन) नियम, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में "वरिष्ठ सहायक" पद के प्रवर्ग के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

आदेश द्वारा,

मनीषा नन्दा प्रधान सचिव (कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार।